



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052025-263179
CG-DL-E-17052025-263179

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947

No. 2133]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

सङ्कक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

का.आ. 2183(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५६१ अकि.मी. ९६+००० से १२३+१०० कि.मी. तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ीकरण / दो लेन पेंड शोल्डर का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रवंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी - जत जिल्हा सांगली, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५६१ अ के कि.मी. ९६+००० से १२३+१०० कि.मी. तक के भूखंड (मंगलवेदा से उमडी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सांगली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जत					
गांव का नाम: हाळळी					
1	39	निजी	जिरायत	0.0472 (हेक्टेयर)	0.0472
2	40	निजी	जिरायत	0.3745 (हेक्टेयर)	0.3745
गांव का नाम: बालगाव					
3	154	निजी	जिरायत	0.0239 (हेक्टेयर)	0.0239
4	185	निजी	जिरायत	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
5	186	निजी	जिरायत	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
6	190	निजी	जिरायत	0.0486 (हेक्टेयर)	0.0486
7	2	निजी	जिरायत	0.1232 (हेक्टेयर)	0.1232
8	3	निजी	जिरायत	0.1397 (हेक्टेयर)	0.1397
गांव का नाम: मोरबगी					
9	1	निजी	जिरायत	0.0414 (हेक्टेयर)	0.0414
10	2	निजी	जिरायत	0.0373 (हेक्टेयर)	0.0373
11	236	निजी	जिरायत	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
Total					0.8515

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2022-23/20/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

S.O. 2183(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ two lane with paved shoulder etc.), maintenance management and operation of National Highway No. 561 A in the stretch of land from Km. 96+000 to Km. 123+100 of Mangalwedha – umadi in the district of Sangali in the State of Maharashtra. Here by declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer Jath District Sangali . in the writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEUDLE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 96+000 to Km. 123+100 of National Highway No. 561 A in the stretch of Mangalwedha – Umadi in the District of Sangli in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jath					
Village: Halli					
1	39	Private	Dry	0.0472 (Hectare)	0.0472
2	40	Private	Dry	0.3745 (Hectare)	0.3745
Village: Balgaon					
3	154	Private	Dry	0.0239 (Hectare)	0.0239
4	185	Private	Dry	0.0029 (Hectare)	0.0029
5	186	Private	Dry	0.0056 (Hectare)	0.0056
6	190	Private	Dry	0.0486 (Hectare)	0.0486
7	2	Private	Dry	0.1232 (Hectare)	0.1232
8	3	Private	Dry	0.1397 (Hectare)	0.1397
Village: Morbagi					
9	1	Private	Dry	0.0414 (Hectare)	0.0414
10	2	Private	Dry	0.0373 (Hectare)	0.0373
11	236	Private	Dry	0.0072 (Hectare)	0.0072
Total					0.8515

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/20/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director